भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2378

(19 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV का कार्यान्वयन

2378. श्रीमती राजाथी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिल नाडु राज्य सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के अंतर्गत राज्य-वार कवर की जाने वाली असंबद्ध बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) तमिल नाडु राज्य के लिए चरण-IV सहित विगत पांच वर्षों के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा मौजूदा सड़कों के उन्नयन, नवीनीकरण और रखरखाव के लिए निधि को सीमित करने हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किस तिथि का किया गया था; और

(घ) क्या सरकार इन राज्यों में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन, नवीनीकरण या रखरखाव के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई घटक शुरू करने या इन्हें सुविधाजनक बनाने की योजना बना रही है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) पीएमजीएसवाई-IV कार्यक्रम (2024-2029) के तहत, राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा 40,547 बसावटों का सर्वेक्षण किया गया है जिन्हें संपर्कविहीन बसावटें कहा गया है। एमजीएसवाई-IV दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण की गई बसावटों की राज्यवार सूची, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य को निधि का आवंटन, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान में चल रहे कार्यों, राज्य की कार्यान्वयन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध पिछले वर्षों के अव्ययित शेष राशि पर निर्भर करता है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में पीएमजीएसवाई-IV सहित जारी केंद्रीय अंश का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। पात्र बसावटों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर)

राज्य से अपेक्षित हैं। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत निधि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी की जाएगी।

(ग) पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा सड़कों के उन्नयन, नवीनीकरण और रखरखाव के लिए वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों और सड़क संरचनाओं के रखरखाव की निगरानी, जो निर्माण पूर्ण होने के 5 वर्षों की डीएलपी (दोष देयता अवधि) में हैं, मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। निर्माण के 5 वर्ष के पश्चात रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक होता है, जिसमें समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्षों का रखरखाव शामिल हो, और इसका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(घ) वर्ष 2019 से 2025 तक पीएमजीएसवाई-III कार्यक्रम, जिसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया, का उद्देश्य सड़कों का उन्नयन था। पीएमजीएसवाई-III के तहत 1,25,000 किमी के लक्ष्य में से 1,22,388 किमी के लिए स्वीकृति दी गई थी। सितंबर 2024 में शुरू किया गया पीएमजीएसवाई-IV कार्यक्रम, वर्तमान में कार्यान्वित होने वाला नवीनतम घटक है। इसका उद्देश्य उन असंबद्ध बसावटों को कवर करना है जिनका राज्य सरकारों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण किया गया है। पीएमजीएसवाई-IV के तहत मौजूदा सड़कों के उन्नयन, नवीनीकरण और रखरखाव के लिए वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत अनुमोदित सभी सड़क कार्यों को प्रारंभिक पांच साल की रखरखाव अनुबंधों के तहत कवर किया जाता है, जिन्हें उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के तहत मानक बोली दस्तावेज के अनुसार किया जाएगा। अनुबंध के संचालन के लिए रखरखाव निधियों को राज्य सरकारों द्वारा बजट में शामिल किया जाना आवश्यक है और उन्हें राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के उपयोग के लिए एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाता है। संबंधित राज्य में योजना शुरू करने से पहले राज्यों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करना पड़ता है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित/उन्नत सड़कों के प्रारंभिक पांच वर्षों की नियमित देखरेख के लिए और इसके बाद की पांच वर्षों की नियमित देखरेख तथा आवश्यकतानुसार आवधिक नवीनीकरण के लिए पर्याप्त निधि प्रदान करना आवश्यक होता है। पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय रखरखाव हेतु निधि की निर्मुक्ति को राज्य द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है। एक ऑनलाइन

प्लेटफ़ॉर्म पीएमजीएसवाई सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईमार्ग) को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया गया है ताकि निर्माण की पूर्णता की तिथि से पांच वर्षों (अर्थात दोष दायित्व अवधि - डीएलपी के तहत) तक पीएमजीएसवाई कार्यों के रखरखाव की निगरानी की जा सके।

****

अनुबंध-I

"पीएमजीएसवाई IV के तहत राज्य सरकारों द्वारा सर्वेक्षण की गई असंबद्ध बसावटों" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 19.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकारों द्वारा पीएमजीएसवाई-IV पात्रता मानदंड के अनुसार जीएसएस एप्लीकेशन में सर्वेक्षण की गई बसावटें
1	आंध्र प्रदेश	413
2	अरुणाचल प्रदेश	194
3	असम	4670
4	बिहार	103
5	छत्तीसगढ़	2692
6	गुजरात	2443
7	हिमाचल प्रदेश	1021
8	जम्मू और कश्मीर	2262
9	झारखंड	2787
10	कर्नाटक	76
11	केरल	2335
12	लद्दाख	31
13	मध्य प्रदेश	9246
14	महाराष्ट्र	196
15	मणिपुर	303
16	मेघालय	377
17	मिजोरम	63
18	नागालैंड	224
19	ओडिशा	2679
20	पंजाब	1
21	राजस्थान	1740
22	सिक्किम	283
23	तमिल नाडु	5

24	तेलंगाना	173
25	त्रिपुरा	435
26	उत्तर प्रदेश	2174
27	उत्तराखंड	873
28	पश्चिम बंगाल	2748
	कुल	**40547**

अनुबंध- II

राज्य सभा में दिनांक 19.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2378 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय अंश का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (15.12.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार	0	9.22	12.22	12.22	0.05	0.00
2	आंध्र प्रदेश	53.2	50	644.13	140.64	507.32	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	952.31	1090.6	1018.74	339.9	609	184.47
4	असम	2516.62	1591.5	664.91	391.29	79.24	101.72
5	बिहार	49.13	375	1443.23	963.37	1195.44	0.00
6	छत्तीसगढ़	924.48	394.41	995.87	401.77	325.24	203.46
7	गोवा	0	0	0	0	0	0.00
8	गुजरात	79.08	195.5	266.63	298.41	220.65	0.00
9	हरियाणा	0	353.23	168.25	74.01	27.38	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	745.24	517.45	624.76	617.56	634.82	393.83
11	जम्मू और कश्मीर	1727.3	1328.34	717	1304.17	1028.25	30.60
12	झारखंड	293.5	0	332.63	752.8	961.77	0.00
13	कर्नाटक	49.29	704.25	720.47	72.25	100.58	3.66
14	केरल	89.97	0	106.76	54.25	122.27	45.67
15	मध्य प्रदेश	1099.54	1392.25	1557.47	599.42	703.29	29.43
16	महाराष्ट्र	0	0	743	1110.8	854.93	71.70
17	मणिपुर	420.66	742	744.98	161.29	2.81	0.32
18	मेघालय	355.29	483.92	405.89	122.59	219.62	134.78
19	मिजोरम	1.59	74.34	584.2	141.37	87.5	28.52

20	नागालैंड	72.89	145.31	183.15	161.29	2.25	3.12
21	ओडिशा	774.29	404.12	1235.88	1262.55	712.39	78.12
22	पुदुचेरी	0	11.66	24.72	0.27	25	0.00
23	पंजाब	0	68.59	231.06	265.1	319.87	43.34
24	राजस्थान	237.15	917.51	199.9	404.79	450.46	155.81
25	सिक्किम	195.5	107.28	263.33	94.37	70	33.08
26	**तमिल नाडु**	**265.38**	**440**	**613.7**	**411.36**	**638.66**	**189.91**
27	तेलंगाना	0	86.38	321.43	296.9625	132.57	6.54
28	त्रिपुरा	69.57	73.88	267.59	185.03	172.75	17.43
29	उत्तर प्रदेश	123.9	1418.55	2068.57	2679.63	1968.6	0.00
30	उत्तराखंड	1536.27	787	1297.16	551.05	815.5	114.96
31	पश्चिम बंगाल	969.31	49.94	381.03	99.275	225	126.79
32	लद्दाख	50	140.79	109.97	37.5	113.81	59.57
कुल		**13651.46**	**13952.99**	**18948.61**	**14007.29**	**13327.03**	**2056.83**